



सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का प्राधिकृत अधिकारी वित्तीय आगंतियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुंगठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का सं. 54) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में 'जहां है जैसी है जो है जैसी है' के आधार पर निम्नलिखित संपत्तियों की नीलामी कर रहा है।

अचल संपत्तियों का विवरण

ऋणीयों, सह-आवेदकों एवं जमानतदारों का नाम व पता	संपत्ति का पता	बकाया राशि	आरक्षित मूल्य धरोहर राशि बोली बुद्धि राशि	ई-नीलामी की दिनांक एवं समय
मैसर्स श्री बालाजी जीपस चक-6, पीआरएम मुख्या नं. 56/18, किला नं. 4 एवं 5, दांतोर, तहसील: खाजूवाला, बीकानेर, पार्टनर-श्री विष्णु शर्मा पुत्र श्री महावीर प्रसाद शर्मा निवासी: 119-120 गांधी नगर, नेत्रेन्द्र भवन के पीछे, बीकानेर, पार्टनर- श्री हजारी राम जाट पुत्र श्री केशु राम जाट निवासी चक-6, पीआरएम मुख्या नं. 56/18, किला नं. 4 एवं 5, दांतोर, तहसील: खाजूवाला, बीकानेर सेन्ट सहयोग ऋण खाता सं. 3206224041	सांख्यिक बंधक भूमि/भवन/पशोनीरी जो औद्योगिक संपत्ति चक नं. 6, पीआरएम मुख्या नं. 56/18, किला नं. 4 एवं 5, दांतोर, तहसील: खाजूवाला, बीकानेर में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 5058.57 वर्गमीटर, जिसकी सीमा निम्न प्रकार है- उत्तर: मुख्या नं. 56/17, दक्षिण: श्री अरविन्द गौड़ किला नं. 7 एवं 6, पूर्व: रोड, पश्चिम: किला नं. 3	दिनांक 13.08.2014 13(2) के नोटिस के अनुसार बकाया राशि रूपये 30,06,858/- (रूपये तीस लाख छह हजार आठ सौ अठारवा मात्र) दिनांक 13.08.2014 + आगे का व्याज व खर्च अतिरिक्त	आरक्षित मूल्य रु. 11,65,000/- जमा धरोहर राशि: रु. 1,16,50,000/- बोली बुद्धि राशि: रु. 20,000/-	दिनांक 05.04.2021 समय: दोपहर 12:00 बजे से 04:00 बजे तक (प्रत्येक 10 मिनट अतिमित समयावृद्धि के साथ)

ई-नीलामी की नियम व शर्तें:- 1. नीलामी ऑनलाईन ई-नीलामी प्रक्रिया के जरिये वेबसाइट <https://www.msstcecommerce.com> पर होगी। नीलामी की दिनांक एवं समय: 05.04.2021 को दोपहर 12.00 बजे से 04.00 बजे तकके मध्य (बन्द होने के अंतिम 5 मिनट की स्वतः समयावृद्धि वाक्यांश के साथ) ई-नीलामी 'जहां है जैसी है वहां जो कुछ भी है' के आधार पर होगी। 2. वेब पोर्टल पर बोली तथा कागजी प्रतियां शाखा में जमा कराने हेतु अंतिम दिनांक 04.04.2021 को सांय 04:00 बजे तक होगी। 3. नीलामी/बोली प्रक्रिया ऑनलाईन इलेक्ट्रॉनिक बोली प्रक्रिया के जरिये वेबसाइट <https://www.msstcecommerce.com> पर होगी। बोलीदाताओं को ई-नीलामी विक्रय प्रक्रिया की विस्तृत शर्तों हेतु वेबसाइट के जरिये जाने की सलाह दी जाती है। 4. इच्छुक बोलीदाता को अपने नाम को पार्टल <https://www.msstcecommerce.com> पर पंजीकृत कर तथा निष्पक्ष यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करना चाहिए। संपातित बोलीदाता ई-नीलामी हेतु ऑनलाईन प्रशिक्षण MSTC Limited, 225-C, A.J.C. Bose Road, Kolkata-700020 से प्राप्त कर सकते हैं। 5. धरोहर राशि RTGS/NEFT/Fund Transfer के जरिये दिनांक 04.04.2021 तक या उससे पूर्व निम्न दिये गये विवरण के अनुसार संबंधित खाते में जमा की जायेगी। 6. बोलीदाता के द्वारा वेबपोर्टल में पंजीकरण के उपरान्त, इच्छुक बोलीदाता/क्रेता को वेबपोर्टल में निम्नलिखित दस्तावेजा की प्रतियां बोली जमा कराने की अंतिम दिनांक से पूर्व अपलोड करनी आवश्यक है यथा 1. NEFT/RTGS चालान की प्रति 2. पैन् कार्ड की प्रति 3. पहचान का साक्ष्य (KYC) स्वहस्ताक्षरित चोटर आईडी कार्ड/ ड्राइविंग लाईसंस/पासपोर्ट/आधार कार्ड इत्यादि की प्रति 4. पते के साक्ष्य की प्रति जिसके बिना बोली निरस्त किये जाने योग्य होगी। 7. धरोहर राशि सफलतम/उच्चतम बोलीदाता की रण में समायोजित कर ली जायेगी अन्यथा विजय सम्पूर्ण होत्र के 7 दिवसों के भीतर लौटा दी जायेगी धरोहर राशि पर कोई व्याज देय नहीं होगा। 8. इच्छुक बोलीदाता संपत्तियों का निरीक्षण स्थान पर दिनांक 04.04.2021 को प्रातः 11:00 बजे से सांय 04:00 बजे के मध्य संबंधित शाखा के माध्यम से कर सकते हैं। 9. नीलामी आरक्षित मूल्य से उपरोक्तानुसार शुरू होगी। बोलीदाता जो उच्चतम बोली (आरक्षित मूल्य से कम नहीं) ऑनलाईन नीलाम होने तक जमा करारयेगा उसे प्राधिकृत अधिकारी के अनुमोदन के आधार पर सफलतम बोलीदाता घोषित किया जायेगा। 10. सफलतम बोलीदाता बोलीराशि का 25% (पूर्व में भुगतान की गई धरोहर राशि को शामिल करते हुए) उसके पक्ष में विक्रय होते ही 24 घण्टे तथा शेष राशि विक्रय पुष्टिकरण के 15 दिवसों के भीतर जमा करवायेगा। यदि सफलतम बोलीदाता उपरोक्तानुसार पंजीकरण का भुगतान करने में असमर्थ रहता है तो उसके द्वारा जमा राशि जल कर ली जायेगी। 11. समस्त प्रभार किसी भी अधिकण को बकाया, परिबद्ध, मुद्रांक शुल्क तथा वंचक शुल्क के रूप में इत्यादि जो भी लागू होते हैं सफलतम बोलीदाता द्वारा ही वहन किये जायेंगे। 12. यदि ऋणीयों को कुल बकाया राशि का 50% प्रथम भुगतान नीलामी की दिनांक से पूर्व कर देता है तो संबंधित नीलामी रोक दी जायेगी/निरस्त कर दी जायेगी। 13. बैंक नीलामी की नियम तथा शर्तों में बिना कोई कारण बताये स्थगन/रद्द करने का अधिकार आरक्षित रहता है। 14. संपत्ति सं संबंधित जानकारी एवं अन्य विवरण हेतु सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा बीकानेर, के.ई.एम. रोड, जिला-बीकानेर, फोन: 8696930615 अथवाMSTC Limited, 225-C, A.J.C. Bose Road, Kolkata-700020 से सम्पर्क कर सकते हैं।

सर्फैसी अधिनियम 2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत 15 दिवस की वैधानिक विक्रय सूचना

ऋणीयों/जमानतदारों को उपरोक्त वर्णित राशि का नियत तिथि तक व्याज एवं सहायक खर्चों के साथ ई-नीलामी की दिनांक से पूर्व भुगतान करने हेतु सूचित किया जाता है जिसमें चूक होने पर सम्पत्ति नीलाम/बेच दी जायेगी तथा बकाया राशि यदि कोई है तो व्याज लागत के साथ वसूल की जायेगी। दिनांक: 18.03.2021 स्थान: बीकानेर प्राधिकृत अधिकारी, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया